उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ – 226001

Website-www.uppst.org E-mail- cpftrust.2004@gmail.com

पत्र संख्याः– /80/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/ई0आर0पी0/2020/ दिनाँकः–

1. लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0)
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।

2. लेखाधिकारी,
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण–मध्य/उत्तर–पूर्व/
दक्षिण–पूर्व/पश्चिम/दक्षिण–मध्य/दक्षिण–पश्चिम,
उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०,लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/
मेरठ/झांसी/आगरा।

3. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/के०भु०प्र०)
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4. लेखाधिकारी (सामग्री प्रबन्ध)
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
ए–708 सेक्टर –सी, महानगर, लखनऊ।

5. श्री दीपचन्द्र काण्डपाल, लेखाधिकारी
नोडल अधिकारी
मु० वित्त एवं भुगतान इकाई,
उ0प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
<uppteltransmissionhq@gmail.com>

6. श्री विनीत बोहरा, लेखाधिकारी
नोडल अधिकारी
निधि प्रबन्ध इकाई,
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
< aofundmanagement@gmail.com>

विषयः–अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों की सी0पी0एफ0 लेखापर्चियों में परिलक्षित त्रुटियों के निराकरण कराने हेतु ट्रस्ट स्तर पर शिकायत पोर्टल के रूप में पृथक् ई०–मेल का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों की लेखापर्चियों में परिलक्षित त्रुटियों के निराकरण हेतु ट्रस्ट स्तर पर शिकायत पोर्टल के रूप में एक पृथक् ई०–मेल आई०डी० **erpcpfslipcorrection@gmail.com** का सृजन किया गया है, जिससे कि केन्द्रीय स्तर पर लेखापर्चियों से सम्बन्धित समस्त त्रुटियों का संकलन कर उनके ससमय निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अग्रेतर अवगत कराना है कि सी0पी0एफ0 लेखापर्चियों में परिलक्षित किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि में सुधार हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

A. वित्तीय वर्ष 2019–20 तक की अंशदायी भविष्य निधि लेखापर्चियों में परिलक्षित त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध मेंः–

1. डिस्कॉम–लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर, उ0प्र0पा0का0लि0 एवं उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के संबंधित कार्मिकों, जिनके सी0पी0एफ0 खातों के सापेक्ष निर्गत लेखापर्चियों में किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि परिलक्षित होती है, द्वारा आवश्यक अभिलेखों/साक्ष्यों सहित सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

2. **(क)** समस्त डिस्कॉम के संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अभिलेखों/साक्ष्यों की जाँचोपरान्त विसंगति/त्रुटि की पुष्टि होने पर प्रत्यावेदन संबंधित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय को अग्रसारित किया जायेगा। संबंधित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा मासिक लेखों से सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित डिस्कॉम के सी०पी०एफ० प्रकोष्ठ को प्रत्यावेदन अग्रसारित किया जायेगा।

   उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यवाही के पश्चात् सी०पी०एफ० प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्यावेदन की जाँचोपरान्त सम्बन्धित कार्मिक की लेखापर्ची में आवश्यक संशोधन किया जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2019–2020 का संशोधित अंतिम अवशेष ट्रस्ट कार्यालय की की उपरोक्त ई०–मेल आई०डी० पर पर प्रेषित किया जायेगा, जिसके आधार पर ट्रस्ट कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की ई०आर०पी० सैप द्वारा निर्गत लेखापर्ची में वित्तीय वर्ष 2019–2020 के संशोधित अंतिम अवशेष की प्रविष्टि की जायेगी।

   (ख) उ0प्र0पा0का0लि0 मुख्यालय भुगतान/सामग्री प्रबन्ध/के०भु०प्र० की नियंत्रणाधीन इकाईयों द्वारा अभिलेखों/साक्ष्यों की जाँचोपरान्त विसंगति/त्रुटि की पुष्टि होने पर लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान/सामग्री प्रबन्ध/के०भु०प्र० को प्रत्यावेदन अग्रसारित किया जायेगा। तत्पश्चात् लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान/सामग्री

प्रबन्ध/के०भु०प्र० द्वारा अभिलेखों/साक्ष्यों की जाँचोपरान्त विसंगति/त्रुटि की पुष्टि होने पर प्रत्यावेदन के सापेक्ष प्रस्तुत अभिलेखों/ साक्ष्यों को सत्यापित करते हुये ट्रस्ट कार्यालय की उपरोक्त ई०–मेल आई०डी० पर अग्रसारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिकों की लेखापर्चियों में आवश्यक संशोधन करते हुये वित्तीय वर्ष–2019–20 के अंतिम अवशेष को ई०आर०पी० सैप पर माईग्रेट करने की कार्यवाही ट्रस्ट स्तर से की जायेगी।

3. **(ग)** उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अभिलेखों/साक्ष्यों की जाँचोपरान्त विसंगति/त्रुटि की पुष्टि होने पर संबंधित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से मासिक लेखों से सत्यापनोपरान्त प्रत्यावेदन ट्रस्ट कार्यालय की उपरोक्त ई०–मेल आई०डी० पर अग्रसारित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिकों की लेखापर्चियों में आवश्यक संशोधन करते हुये वित्तीय वर्ष–2019–20 के अंतिम अवशेष को ई०आर०पी० सैप पर माईग्रेट करने की कार्यवाही ट्रस्ट स्तर से की जायेगी।

B. <u>वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं अग्रेतर वित्तीय वर्षों की अंशदायी भविष्य निधि लेखापर्चियों में परिलक्षित त्रुटियों के निराकरण के सम्बन्ध में:–</u>

1. **<u>समस्त डिस्कॉम एवं उ०प्र०पा०का०लि० की नियन्त्रणाधीन इकाईयों द्वारा Manually भुगतान किये गये वेतन/अवशेषों इत्यादि के सम्बन्ध में:–</u>**

ट्रस्ट कार्यालय के पत्र सं0–1441/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 27.11.2021, पत्र सं0–786/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 30.05.2022 एवं पत्र सं0–1563/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक 28.10.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा समस्त डिस्कॉम एवं उ०प्र०पा०का०लि० की नियन्त्रणाधीन इकाईयों द्वारा Manually भुगतान किये गये वेतन/अवशेषों इत्यादि के सापेक्ष सी०पी०एफ० अंशदान की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिक की ई०आर०पी० सैप द्वारा निर्गत लेखापर्ची में कराने हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त के अनुक्रम में डिस्कॉम/निगम की अधीनस्थ समस्त इकाईयों में तैनात कार्मिकों की लेखापर्चियों में आवश्यक संशोधन कराने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन ट्रस्ट कार्यालय की ई०मेल आई०डी० **erpcpfslipcorrection@gmail.com** पर प्रेषित किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रियान्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में ट्रस्ट कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2. **<u>समस्त डिस्कॉम एवं उ०प्र०पा०का०लि० में कार्यरत कार्मिकों की लेखापर्चियों से सम्बन्धित अन्य विसंगतियों के सम्बन्ध में:–</u>**

समस्त डिस्कॉम एवं उ०प्र०पा०का०लि० में कार्यरत कार्मिकों की वित्तीय वर्ष–2020–21 एवं अग्रेतर वर्षों में ई०आर०पी० सैप के माध्यम से निर्गत लेखापर्चियों में परिलक्षित किसी अन्य प्रकार की विसंगति/त्रुटि का निराकरण उपरोक्त बिन्दु सं०–**A** के उपबिन्दु 1 एवं 2 में वर्णित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।

3. **<u>उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० में कार्यरत कार्मिकों की लेखापर्चियों से सम्बन्धित विसंगतियों के सम्बन्ध में:–</u>**

उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० में कार्यरत कार्मिको की वित्तीय वर्ष–2020–21 एवं अग्रेतर वर्षों में ई०आर०पी० सैप के माध्यम से निर्गत लेखापर्चियों में परिलक्षित किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि के निराकरण हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अभिलेखों/साक्ष्यों की जाँचोपरान्त विसंगति/त्रुटि की पुष्टि होने पर संबंधित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से सत्यापनोपरान्त प्रत्यावेदन निम्नलिखित नोडल अधिकारियों को अग्रसारित किया जायेगा:–

1. श्री विनीत बोहरा (मो०नं०–9799260240), लेखाधिकारी, वित्त प्रबन्ध इकाई, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ। **<aofundmanagement@gmail.com>**
2. श्री डी०सी० काण्डपाल (मो०नं०–9452654210), लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।**<uppteltransmissionhq@gmail.com>**

उपरोक्त अधिकारी उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि० में कार्यरत कार्मिको की वित्तीय वर्ष–2020–21 एवं अग्रेतर वर्षों की लेखापर्चियों में सी०पी०एफ० अंशदान की प्रविष्टि किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। अतएव वित्तीय वर्ष–2020–21 एवं अग्रेतर वर्षों की लेखापर्चियों में सी०पी०एफ० अंशदान से सम्बन्धित किसी भी

प्रकार की विसंगति/त्रुटि के निराकरण हेतु सुधारात्मक कार्यवाही उपरोक्त नोडल अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4. **सी0पी0एफ0 अग्रिम से सम्बन्धित विसंगतियों के सम्बन्ध में:–**

वित्तीय वर्ष–2020–21 एवं अग्रेतर वर्षो की ई०आर०पी० सैप के माध्यम से निर्गत लेखापर्चियों में सी0पी0एफ0 अग्रिम से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि के निराकरण हेतु प्रत्यावेदन सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी द्वारा सीधे ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि लेखापर्चियों में सी0पी0एफ0 अग्रिम से सम्बन्धित कोई प्रविष्टि किसी भी अन्य स्तर से नही की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि किसी कारणवश कार्मिक की लेखापर्ची में परिलक्षित विसंगति/त्रुटि का निराकरण नही हो पाता है, तो कार्मिक द्वारा, प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है, की सूचना सहित ट्रस्ट कार्यालय की ई०मेल आई०डी० **erpcpfslipcorrection@gmail.com** पर सीधे प्रत्यावेदन प्रेषित किया जा सकता है।

संलग्नकःयथापरोक्त।

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र संख्याः– 494 **/80/सी0पी0एफ0 ट्रस्ट/ई0आर0पी0/2020/तद्दिनांक** 20/5/2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/का० एवं प्रशा०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
5. समस्त मुख्य अभियंता, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/ आगरा/ मेरठ/ कानपुर।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
9. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/ मध्यांचल/ दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
10. उपसचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियंता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०,/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
13. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण–मध्य/ उत्तर–पूर्व/ दक्षिण–पूर्व/ पश्चिम/ दक्षिण–मध्य/ दक्षिण–पश्चिम, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, लखनऊ/ गोरखपुर/ प्रयागराज/ मेरठ/ झांसी/ आगरा।
14. लेखाधिकारी (के०भु०प्र०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
15. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(एस०के० अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)